संoसंo–9 / आo–03–11 / 2024

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डॉo सुभाष प्रसाद सिंह, तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध अंधापन उन्मूलन कार्यक्रम के तहत NGO द्वारा मोतियाबिन्द के ऑपरेशन हेतु मरीजों से पैसा प्राप्त करने के साथ–साथ सरकार से अनुदान स्वरूप राशि भुगतान करने में सजगता नहीं बरतने, NGO द्वारा प्रस्तुत किये गये मरीजों के विवरणी को प्रतिपरीक्षण नहीं करने एवं कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी होते हुए अपनी पदीय शक्ति अन्य स्थलीय निरीक्षण नहीं करने** जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त **डॉo सिंह** के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी0) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के सचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 एवं बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी0) के अधीन **डॉo अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को संचालन पदाधिकारी तथा **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. **डॉo सिंह** से यह अपेक्षा की जाती है कि वें संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वयं उपस्थित हो।

4. इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की सहमति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी / उपस्थापन पदाधिकारी / आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एव आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

हo / –

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–संoसंo–9 / आo–03–11 / 2024(स्वा0) 80(9) / पटना, दिनांक : 21.01.25

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र एवं साक्ष्यो की प्रति सहित **डॉo अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2 अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेगें।

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉo सुभाष प्रसाद सिह, तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पत्राचार का पता–4–जी, टी, भगवती अपार्टमेन्ट, नवल किशोर रोड, कदमकुऑ, पटना–800003 मोo नंo–9709946890 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3 अनुरोध है कि इसकी प्रति आरोपित पदाधिकारी को तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपिः–आईoटीo मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।